प्रकरण सं० 28/21 सरकार | ...

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर सामने आये कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 25.06.2002 द्वारा कमल पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार एवं श्रीमती छोटा पत्नी कमल गूजर निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार के पक्ष में आवंटन किया गया था किन्तु तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 केवल कमल पुत्र कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी बैरना तहसील खण्डार के विरूद्ध पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आवंटी श्रीमती छोटा पत्नी कमल गुर्जर निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार को बिना सुने आदेश पारित किया जाना न्याय हित में सही नहीं होगा।

अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारों की जांच कर पुनः नये सिरे से प्रकरण न्यायालय हाजा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:04 IST
Reason: SelfAttested